न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/300

माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान नई कॉलोनी दडिया पंचायत रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी जरिये पुजारी निखिल शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा जाति ब्राह्म्ण निवासी नई कॉलोनी दडिया हाल निवासी नारायण टाकिज के पीछे माली मोहल्ला, रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नई कॉलोनी दडिया, पंचायत रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा(राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–1. श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 25.02.2026

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 82/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान नई कॉलोनी दडिया पंचायत रीछडिया जरिये पुजारी निखिल शर्मा की ओर से निम्न प्रकार वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है। माल ग्राम दडिया तहसील रामगंजमंडी के माल में वर्तमान खसरा नम्बर 382 रकबा 1.43 हैक्टेयर किस्म बारानी पृथम जिसके गत खसरा नम्बर 143 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। उक्त मंदिर में स्थित श्री लक्ष्मीनारयण जी भगवान की सुबह शाम पूजा व भोग आदि की व्यवस्था पुजारी निखिल शर्मा ही करता चंला आ रहा है। इससे पूर्व इस मंदिर की सेवा पूजा आदि व्यवस्था पुजारी निखिल शर्मा के पिता श्री मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जी शर्मा करते थे। उनकी मृत्यु सन् 2017 में हो गई है। उससे पूर्व इनके पिता श्री रामचन्द्र पुत्र

औंकारलाल जी शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम दडिया मंदिर की सेवा पूजा करते थे। जिस वक्त पुजारी निखिल शर्मा के पिता श्री मोहनलाल जी सेवा पूजा करते थे उस समय वो बीमार रहने लगे ओर ऐसी असहाय स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर राजेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम दडिया ने नाजायज फायदा उठाकर उक्त मंदिर की भूमि पर जबरन मार्च 2018 मे कब्जा कर लिया। इस पर उनका पुत्र निखिल शर्मा मंदिर की सेवा पूजा करने लगा तो प्रतिवादी नं 1 राजेन्द्रसिंह ने उनके पुत्र निखिल शर्मा को सेवा पूजा नहीं करने दी एवं डरा धमकाकर ताकत के बल पर डरा दिया एवं स्वयं जबरन मंदिर की सेवा पूजा करने लग गया। तब से ही करीब 5–6 साल से प्रतिवादी नं. 1 जबरन मंदिर की सेवा पूजा कर रहा है एवं उसके नियमित जो आराजी सेवा पूजा के लिये निकाली गई है वर्तमान खसरा नम्बर 382 रकबा 1.43 हैक्टेयर को जबरन काश्त कर रहा है एवं उससे होने वाली आय स्वयं हडप कर रहा है। उपरोक्त परिस्थितियो मे वादी के लिये यह आवश्यक हों गया है कि प्रतिवादी नं. 1 को माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनरायण जी विराजमान ग्राम दडिया के खाते की आराजी खसरा नम्बर 382 रकबा 1.43 हेक्टेयर से बेदखलकर वादी को कब्जा दिलाया जावे एवं साथ ही प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध यह स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी किया जावे कि वादी को कब्जा मिलने के बाद फिर उक्त भूमि पर कभी भी वादी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करे किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजामहत नहीं करे एवं वादी को विवादित भूमि शांतिपूर्वक काश्त करने देवे एवं माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी के पुजारी के रुप में उसे उक्त मंदिर की सेवा पूजा करने से नही रोके। मूर्ति माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी शाश्वत नाबालिग है एवं उनकी सेवा पूजा के लिये छोडी गई उक्त आराजी पर प्रतिवादी नं. 1 को कब्जा करने और कब्जा बनाये रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी निखिल शर्मा को उक्त विवादित भूमि से बेदखलकर कब्जा प्राप्त करने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है क्योकि इस पर पुजारी निखिल शर्मा के पूर्वज हमेशा से सेवा पूजा करते चले आ रहे है। वाद कारण मार्च 2018 में प्रतिवादी नं. 1 द्वारा जबरन विवादित भूमि पर कब्जा करने पर पैदा हुआ। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि (क) आराजी ग्राम दडिया में स्थित खसरा नम्बर 382 रकबा 1.43 हेक्टेयर किस्म बारानी पृथम से प्रतिवादी नं. 1 को बेदखलकर वादी को कब्जा दिलाया जावे। (ख) यह कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 382 रकबा 1.43 हैक्टेयर पर वादी को कब्जा दिलाये जाने के पश्चात् प्रतिवादी नं. 1 वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, बेदखल नहीं करे, किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नही करे, ना ही उक्त कृत्य किसी ऐजेन्ट से करावे। अन्य न्यायोचित सहायता एवं जितना समय प्रतिवादी नं. 1 का कब्जा रहा है। उसका हर्जाना भी वादी को दिलाया जावें

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2025 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2025 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी न्याय कानून व तथ्यों के सर्वथा विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिल्कुल परवर्स है। तहसील रामगंजमंडी के माल में वर्तमान खसरा नम्बर 382 रकवा 1.43 हैक्टेयर किस्म बारानी पृथम जिसके गत खसरा नम्बर 143 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। उक्त मंदिर में स्थित श्री लक्ष्मीनारयण जी भगवान की सुबह शाम पूजा व भोग आदि की व्यवस्था पुजारी निखिल शर्मा ही करता चला आ रहा है। इससे पूर्व इस मंदिर की सेवा पूजा आदि व्यवस्था पुजारी निखिल शर्मा के पिता श्री मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जी शर्मा करते थे। उनकी मृत्यु सन् 2017 में हो गई है। उससे पूर्व इनके पिता श्री रामचन्द्र पुत्र औंकारलाल जी शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम दडिया मंदिर की सेवा पूजा करते थे। जिस वक्त पुजारी निखिल शर्मा के पिता श्री मोहनलाल जी सेवा पूजा करते थे उस समय वो बिमार रहने लगे ओर ऐसी असहाय स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर राजेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम दडिया ने नाजायज फायदा उठाकर उक्त मंदिर की भूमि पर जबरन मार्च 2018 में कब्जा कर लिया ओर सेवा पूजा नहीं करने दी। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया ओर साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही अपना निर्णय दे दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त भूमि मन्दिर लक्ष्मी नारायण विराजमान नई कॉलोनी दडिया के खाते दर्ज है जिसकी सेवा पूजा अपीलांट करता रहा है। अपीलांट अपने पिता जी के समय से उक्त आराजी पर काबिज काश्त था तथा मन्दिर की सेवा पूजा करता था। अधीनस्थ न्यायालय ने गवाहान के बयान व राजस्व रिकॉर्ड पर ध्यान न देकर भयंकर भूल की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

वादी अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम दडिया तहसील रामगंजमण्डी की खसरा संख्या 382 रकबा 1.43 हैक्टेयर भूमि मन्दिर की भूमि है तथा अपीलांट मंदिर का पुजारी है तथा अपने पिता के समय से निरन्तर वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा था परन्तु प्रश्नगत मंदिर की आराजी पर मार्च 2018 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जबरन कब्जा कर लिया तथा वादग्रस्त आराजी को जबरन हड़पने के उद्देश्य से अपीलांट एवं

उसके पुत्र को मन्दिर की सेवा पूजा से वंचित कर दिया गया है। हस्तगत वाद में वादी अपीलांट द्वारा प्रश्नगत मंदिर की भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेदखल किए जाने तथा वादी अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किए जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार खसरा संख्या 382 रकबा 1.43 हैक्टेयर भूमि माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर की भूमि है। वादी अपीलांट ने स्वंय को प्रश्नगत मंदिर का पुजारी होने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रेषित पत्र कमांक 58 दिनांक 29.01.2025 में वादग्रस्त आराजी पर वर्ष 1991 में पुजारी का नाम उदयसिंह पुत्र देवी सिंह होना तथा वर्ष 2021 में वादग्रस्त आराजी पर पवन पुत्र लक्ष्मीनारायण द्वारा काश्त किया जाना अंकित है। तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपने पत्र कमांक 58 दिनांक 29.01.2025 के साथ पुजारी रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति पेश की है जिस पर दिनांक 12.01.2021 अंकित है। हस्तगत वाद वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.10.2023 को पेश किया गया है। अतः तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत किए गए पुजारी रजिस्टर की छायाप्रति वाद प्रस्तुत होने से पूर्व की है तथा पुजारी रजिस्टर की छायाप्रति में प्रतिलिपि जारी होने की दिनांक भी अंकित नहीं है जिससे यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि वर्तमान में प्रश्नगत मंदिर की सेवा पूजा तथा मंदिर की भूमि के मोके पर काश्त किसके द्वारा की जा रही है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रामगंजमण्डी के पत्र कमांक 58 दिनांक 29.01.2025 के आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादी अपीलांट का कब्जा नहीं होना मानकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। चूंकि वादग्रस्त आराजी मंन्दिर की भूमि है अतः हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रामगंजमण्डी से जवाबदावा लिया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रामगंजमण्डी से कोई जवाबदावा नहीं लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण से जवाबदावा लिए बिना तथा तनकीयात कायम किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2025 पारित की गई है जो सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में वादग्रस्त भूमि में उभयपक्षकारान के मध्य हक अधिकारों को लेकर विधि के गंभीर प्रश्नगत अंतर्निहित है जिनका निर्धारण उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किया जाना संभव है। अतः हमारे मत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 82/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2025 निरस्त की जाती है। प्रकरण

अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से जवाबदावा लेकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 23.03.2026 को स्वयं उपस्थित रहें

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/2/26

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा